राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक – 04 फरवरी, 2020

समय – पूर्वाहन: 11:30 बजे

स्थान – कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय का सभाकक्ष, उ0प्र0 शासन।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत शासनादेश संख्या–4183/33–3–2018–15 सी.एम./2013 टी.सी. दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री वीरेंद्र कुमार सिंह	सचिव	पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
2.	श्रीमती किंजल सिंह	निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3.	श्री ए0एल0एस0 यादव	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
4.	श्री हरी राम	उपसचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
5.	श्री जोगेन्द्र प्रसाद	संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन	पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
6.	श्री ऋषिकेश दुबे	संयुक्त सचिव	नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7.	श्री वेद प्रकाश राय	अनुसचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
8.	डा0 वी0के0 सिंह	संयुक्त निदेशक,	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
9.	श्री गिरीजेश कुमार	अनुसचिव	पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
10.	डा0 डी.सी. उपाध्याय	अपर निदेशक	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
11.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
12.	श्री पुनीत कुमार मिश्रा	उपनिदेशक	महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
13.	श्री हरि शर्मा	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक	एन0आई0सी0 लखनऊ।
14.	श्री अरविन्द कुमार राय	उपनिदेशक, जेड0पी0एम0सी0	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
15.	श्री बृजेश कुमार	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
16.	श्री अजय प्रकाश	उपायुक्त	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
17.	श्री ए0के0 रावत	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक	एन0आई0सी0 लखनऊ।
18.	श्री अवधेश सिंह यादव	समीक्षा अधिकारी	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा के बाद समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

एजेण्डा बिन्दु	समिति द्वारा लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का परिचय।	
समिति को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के उद्देश्य व बजटीय प्राविधानों से नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराते हुए यह बताया गया कि:– • पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांश:राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ किया गया है। • प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की स्वीकृति सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। • योजना के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देश सिद्वांत शासनादेश संख्या–4183/33–3–2018–2015 सी.एम./2013 टी.सी. दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 से निर्गत है जिसका अनुश्रवण उच्च स्तरीय समितियों के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकतानुसार किया जाएगा। **योजना के संचालन हेतु चार स्तर पर समिति का गठन किया गया है–** 1. मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 की अध्यक्षता में **राज्य सलाहकार समिति**। 2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **राज्य संचालन समिति**। 3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में **राज्य कार्यकारी समिति**। 4. निदेशक, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में **अनुश्रवण समिति**।	**समिति द्वारा मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य संचालन समिति की बैठकों का आयोजन मार्च, 2020 तक अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए।**
एजेण्डा बिन्दु–2–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) की प्रथम बैठक के परिपालन की स्थिति एवं द्वितीय बैठक के एजेण्डे की पुष्टि।	
प्रथम बैठक के अपेक्षित बिन्दु **एजेण्डा बिन्दु–4– वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि की उपलब्धता के अनुसार लिए जाने वाले कार्यो पर चर्चा एवं अनुमोदन।**	**1. समिति द्वारा द्वितीय बैठक के एजेण्डे की पुष्टि की गई।**

घटक	**समिति द्वारा लिये गये निर्णय/ दिये**	**निर्णयों के परिपालन की स्थिति**

	गये निर्देश		
1. पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना– (Development of Panchayat Learning Centre (PLC) (upto Rs. 5,00,000/- for each PLC)) प्रदेश में 20 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना अन्तर्गत चयनित मॉडल ग्राम पंचायतों को एक लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए पृथक से रू0 5.00 लाख प्रति लर्निंग सेंटर के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 20 ग्राम पंचायतों को पंचायत लर्निंग सेन्टर (पी.एल.सी.) के रूप में स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ धनराशि हस्तान्तरित की गयी एवं सभी पी.एल.सी. स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं।	**1. समिति पंचायत लर्निंग सेंटर की प्रगति से संज्ञानित हुई।**
2. संस्थागत ढांचा– स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर (एस.पी. आर.सी.) (आवर्ती व्यय)	समिति द्वारा प्रिट के अतिरिक्त फैकल्टी सहयोग हेतु जनपद अम्बेडकर नगर में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान को धनराशि हस्तांतरित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।	• पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) एवं क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, अम्बेडकरनगर से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में फैकल्टी सहयोग हेतु धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। अनेको बार लिखित रूप से निर्देशित किए जाने के उपरांत भी उक्त कार्यवाही पूर्ण नही कराई गई है। श्री. के.एस.अवस्थी, संयुक्त निदेशक 'प्रिट' को एवं श्री हरिकेश बहादुर, तत्कालीन उपनिदेशक(पं0), अयोध्या को फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए दिनांक 28 जनवरी, 2020 से कारण बताओं नोटिस	**समिति द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) एवं क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, अम्बेडकरनगर में फैकल्टी तैनाती को 15 दिवस में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।**

		जारी किया गया गया है।	
3. जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर. सी) की स्थापना एवं संचालन (अनावर्ती व्यय)	1. समिति द्वारा डी.पी.आर.सी. निर्माण की धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति नहीं दी गयी एवं अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पर जिला पंचायत द्वारा स्वयं नियमानुसार स्वीकृत करते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। 2. जिला पंचायत द्वारा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के प्रस्ताव पर समिति द्वारा प्रथमतः पूर्व में अनुमोदित कार्य को पूर्ण कराये जाने तथा अतिरिक्त धनराशि हेतु पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	• बिन्दु–1 एवं 2 के क्रम में जिला पंचायतों को ब्याज की धनराशि व्यय नही करने तथा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हेतु जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के माध्यम से निदेशालय स्तर से निर्देश समस्त को निर्गत किए गए है। • पुनः जिला पंचायत– शामली तथा डी.पी.आर.सी. फिरोजाबाद का डिजाइन में परिवर्तन सम्बंधी प्रस्ताव निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है। • उपनिदेशक (पं0), लखनऊ मण्डल के प्रस्ताव पर ही रायबरेली जनपद चिन्हित हुआ था। अतः उनके स्तर से स्थल चिन्हित कराया जाना अपेक्षित था जिसके लिए उनको दिनांक 28.01.2020 से स्पष्टीकरण निर्गत तथा जिलाधिकारी को स्थल चयन के लिए पुनः पत्र प्रेषित। भूमि चिन्हांकन किया जा चुका है, भूमि आंवटन की कार्यवाही नही की गई है। उपनिदेशक(पं0), लखनऊ के स्तर से अनुश्रवण अपेक्षित।	**1. समिति द्वारा छत स्तर तक निर्मित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।** **2. जिला पंचायत– शामली तथा डी.पी.आर.सी. फिरोजाबाद द्वारा डिजाईन में परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बंध में पी.एफ.ए.डी. द्वारा मूल डिजाइन में निर्धारित कक्ष एवं विशिष्टियों/मानक में परिवर्तन किए बिना अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर.सी. के सम्बंध में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कार्य ससमय पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। योजना मद से इस संशोधन पर अतिरिक्त रूप से कोई धनराशि नही दी जाएगी।** **3. समिति द्वारा रायबरेली के साथ जनपद अमरोहा, एटा, महराजगंज, चित्रकूट में भूमि अनुपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए जनपदों के जिलाधिकारी को पृथक से पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।**

	3. समिति द्वारा अम्बेडकर नगर के स्थान पर लखनऊ मण्डल के जनपद रायबरेली में डी.पी.आर.सी. स्थापित किये जाने हेतु धनराशि हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), लखनऊ मण्डल के स्तर से भूमि उपलब्धता संबंधी विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।		**4. डी.पी.आर.सी. के रंग–रोगन, हैंडओवर तथा विद्युत कनेक्शन हेतु पृथक से निर्देश निर्गत किए जाने के आदेश दिए गए।**
4. **जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी) की स्थापना एवं संचालन (आवर्ती व्यय)**	डी.पी.आर.सी. में कार्यरत चपरासी/ कार्यालय सहायक के मानदेय को रू0 6000 से बढ़ाकर रू0 8000 किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	समिति के अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही पूर्ण।	**समिति संज्ञानित हुई।**
5. पंचायत भवन हेतु सहायता– 275 पूर्व निर्मित पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार/ मरम्मत (धनराशि रू0 4.00 लाख की दर से)	1. समिति द्वारा पंचायत भवन जीर्णोद्धार/ मरम्मत हेतु पंचायत /जनपद स्तर से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप धनराशि हस्तांतरित किये जाने के निर्देश	• शासनस्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए 275 के सापेक्ष 275 पूर्व निर्मित पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार/ मरम्मत हेतु (धनराशि रू0 4.00 लाख की दर से) जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 75 जनपदों द्वारा स्थल चयन कर कार्य प्रारम्भ	**1. पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत की प्रगति पर समिति द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में द्रुत प्रगति लाने के निर्देश दिए।** **2. वर्ष 2018–19 में पंचायत भवन निर्माण मार्च, 2020 तक एवं मरम्मत के कार्य को फरवरी, 2020 में पूर्ण कराए जाने के निर्देश के साथ समस्त कार्य की**

	दिये गये। 2. समिति द्वारा लगभग 20 वर्ष पुराने पंचायत भवनों में प्लास्टर एवं छत मरम्मत हेतु धनराशि हस्तांतरित किये जाने के निर्देश दिये गये।	करते हुए 85 पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। पी.एफ.एम.एस. लागू होने के कारण प्रकिया बाधित थी। शेष पंचायत भवन के मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जिसको 20 फरवरी, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। • वर्ष 2018–19 में 298 पंचायत भवन निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 48 छत स्तर एवं 64 पूर्ण की ऑनलाइन प्रगति अपडेट की गई। उक्त निर्माण कार्य भी पी.एफ.एम.एस. इंटीग्रेशन के कारण बाधित रहा। समस्त निर्माण कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश निर्गत है। • उल्लेखनीय है कि आर.जी.एस.ए.–पी. एफ.एम. इंटीग्रेशन 21 जनवरी, 2020 को भारत सरकार द्वारा किया गया है।	**जीओ टैगिंग किये जाने एवं पंचायत भवन मरम्मत के कार्य के पूर्व एवं पश्चात् की फोटो के साथ प्रगति अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए।** **3. वर्ष 2020–21 हेतु पंचायत भवन नव–निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव अप्रैल, 2020 तक जनपदों से प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही धनराशि हस्तान्तरित किए जाने के निर्देश दिए गए।** **4. वर्ष 2019–20 में लक्षित पंचायत भवन मरम्मत एवं नव–निर्माण के स्थल चयन को फोटो सहित जनपदों से प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही पंचायत भवन मरम्मत एवं नव–निर्माण की फोटो सहित प्रगति अपडेट किए जाने के निर्देश दिए गए।** **5. पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत के अनुश्रवण के लिए पृथक से मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) तथा निदेशालय स्तर के अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए।**
एजेण्डा बिन्दु–3 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की वित्तीय स्वीकृति एवं कार्ययोजना पर चर्चा। • वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु योजनान्तर्गत धनराशि रू0 496.67 करोड़ का बजट प्राविधान है, जबकि वर्ष 2019–20 हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि रू0 416.92			

करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कुल रू0 169.92 करोड़ (रू0 75.23 करोड़ प्रथम किश्त एवं रू0 94.69 करोड़ द्वितीय किश्त) के रूप में अवमुक्त की गयी है।

- वर्ष 2019–20 में अभी तक कुल रू0 55.00 (अनुदान सं0–14 में रू. 48.60 करोड़, अनुदान सं0–83 में रू0 5.57 करोड़ एवं अनुदान सं0–81 में रू0 0.83 करोड़) की धनराशि राजस्व मद में उपलब्ध कराई गई है।
- गत वर्ष की अवशेष धनराशि रू. 74.53 करोड़ (केन्द्रांश– 44.72 करोड़ एवं राज्यांश रू0 29.81 करोड़)।
- उक्त रूप से उपलब्ध धनराशि रू0 129.53 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0–102.48 व्यय कर 102.43 का उपभोग पंचायती राज मंत्रालय को दिसम्बर माह में प्रेषित किया जा चुका है एवं उसके उपरांत भारत सरकार से द्वितीय किश्त रू0 94.69 करोड़ अवमुक्त की जा चुकी है। शासन को धनराशि अवमुक्ति का प्रस्ताव जनवरी, 2020 में प्रस्तुत किया जा चुका है।

S.N	Component		FY 2018-19 (Rs. In Cr)	FY 2019-20 Actual Status (Rs. In Cr)	Detailing
1-	Budget Provision		200.0	496.67	CS- 298.01Cr & SS- 198.67 Cr
2-	Approved Main Plan		249.24	416.92	CS- 250.15 Cr & SS- 166.77 Cr
3-	Opening Balance	CS	45.22	44.72	
4-		SS	00	29.81	
5-	Central Share Released GoI		57.14	169.92	
6-	Central Share Released GoUP		57.14	35.23	
7-	State Share Released		64.19	19.77	
8-	Bank Interest		1.59	0.00	
9-	Total Amount Available		168.14	129.53	
10-	Fund Available for expenditure		168.14	129.53	
11-	Expenditure Incurred		93.61	102.48	
12-	Balance Amount		74.53	27.05	
13-	Amount of UC submitted		93.61	102.43	

- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् है–

Annual Plan (2019-20)- Uttar Pradesh (Rs. In Cr)

S.N.	Approved Activities (2019-20)	Amount
1.	Capacity Building & Training (GPDP)	
1	ERs Gram Panchayat (other than sarpanch/up sarpanch) 02 ward members from each GP= 117616 Block level 2 days on GPDP@ Rs.800/-	18.819
2	1 day Refresher training of Gram Panchayat Sarpanch/ upa sarpanch on GPDP= 58703 at DPRC/DIRD/RIRD @ Rs.1100/-	6.457
3	2 days District Level functionaries' refresher & experience sharing training =120 No. @ Rs. 1900/- at State level	0.046
4	2 days Block level functionaries /Block level BRPs (Block Resource Persons) of SRLM on GPDP at State level 821 No. @ Rs 1900/-	0.312

1. समिति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित गतिविधियों से संज्ञानित हुई।

2. समिति द्वारा निदेशालय स्तर से प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष शीघ्र ही बजट अवमुक्त किए जाने एवं अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष शत् प्रतिशत् राज्यांश निर्गत कराने के निर्देश उपस्थित संयुक्त सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन को दिए गए।

5	2 days block level Training of PPT/WG/TF- Two SHG Head/members from each GP(WG)- 117616 No. @ Rs. 800/-	18.819
6	5 days State level Training of State Resource Group (SRG) members on Participatory Rural Appraisal (PRA)- 300 No. @ Rs. 1900/-	0.285
7	3 Days State level Training of State Resource Group (SRG) members on GPDP and Sustainable Development Goal (SDG)- 300 No. @ Rs. 1900/-	0.171
8	3 Days State level Training of State Resource Group (SRG) members on Social Audit 300 No. @ Rs. 1900/-	0.171
9	3 Days District level Training of District Resource Group on Participatory Rural Appraisal (PRA)- 4105 No. @ Rs. 1100/-	1.355
8	3 days State level Training with Model Panchayats Gram Pradhans for development of model panchayat- 1500 No. @ Rs. 1900/-	0.086
9	One day district level experience sharing workshop along with Model Panchayats Gram Pradhans- 80 participants per workshop per district = total 6000 No. @ Rs. 1100/-	0.660
10	Two days district level orientation training programme of Block Motivators on RGSA & GPDP- 821 No. @ Rs. 1100/-	0.181
	Total (CB&T new GPDP)	**47.35**
2. Capacity Building & Training (other than GPDP)		
General Orientation/ Induction training		
1	3 days State level Training of functionaries on Result Based Management (RBM) - 120 No. @ Rs. 1900/-	0.0684
2	5 Days State level training of DPRC (District Panchayat Resource Centre) Faculty on process documentation- 25 No. @ Rs. 1900/-	0.0237
3	3 days State level Training of DPRC (District Panchayat Resource Centre) Faculty on report writing- 25 No. @ Rs. 1900/-	0.014
4	5 Days State level Training of DPRC (District Panchayat Resource Centre) faculty on preparation of Training Module- 25 No. @ Rs. 1900/-	0.0237
5	3 Days State level Writeshop with development partners for preparation of training module on OSR - 60 No. @ Rs. 1900/-	0.034
6	3 days State level Training for preparation of training module on account management- 60 No. @ Rs. 1900/-	0.034
7	2 days State level Training of functionaries on Stress Management - 120 No. @ Rs. 1900/-	0.046
8	3 days District level Training of Panchayat Secretaries on Personality & Leadership development - 16000 No. @ Rs. 1100/-	5.28
	Computer and other	
9	6 days State level Basic Computer training for directorate staff- 60 No @ Rs. 1900/-	0.068
10	2 days district level Refresher Training of Secretaries on PES applications- 12000 no. @ Rs. 1100/-	2.640
11	2 days district level training of Secretaries on PFMS and PRIASoft Integration- 12000 no. @ Rs. 1100/-	2.640
12	One day State level Training of one secretary and one Pradhan & ADO of each block on PFMS and PRIASoft Integration - 2466 No. @ Rs. 1900/-	0.4685
13	2 days State level Training of DPMs, DivPM, ADPM on PRIASoft and PFMS Integration-168 No. @ Rs. 1900/-	0.0638
14	One day State level orientation of DDs and DPROs on PFMS and PRIASoft Integration 93 No. Rs. @ 1900/-	0.0177
15	2 days Block level Training of Pradhans on PRIASoft & PFMS Integration 58759 No. @ Rs. 800/-	9.401
16	2 days State level Training on "Training Management Portal" of DPRC faculty, DPMs, ADPM, Div.PM. 193 No. @ Rs. 1900/-	0.073
	Total (CB&T other than GPDP)	**18.25**
3. Other activities under Capacity Building & Training		

3. प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन की गतिविधियों का गहन अनुश्रवण करते हुए प्रशिक्षण कैलेन्डर बनाए जाने एवं समस्त गतिविधियों को निर्धारित समयाविधि में पूर्ण किए जाने तथा कैलेन्डर तैयार करने में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान(एस.आई.आर.डी.) का भी सहयोग लिये जाने के नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए. को निर्देश दिए गए।

1.	Development of Training Modules **(Upto 5 lakh per State/ per year) 2 No.**	0.05
2	Development of Training Material including film and electronic material **(Upto 10 lakh per State/ per year)**	0.10
3	Training need Assessment **(Upto 5 lakh per State/ per year)- 1 No.**	0.05
4	Exposure visits within State ***(Upto Rs. 2500/per day/per participant)*** 20 visits @ 10 participants total participant 200 No. for 3 days	0.15
5	Exposure visits outside State ***(Upto Rs.4000/-per day/per participant)*** 05 visits @ 20 participants	0.20
6	Development of Panchayat Learning Centre (PLC) **(Upto Rs. 5,00,000/- for each PLC)**	0.30
	Total (other activities of CB&T)	**0.85**
4. Institutional Structure SPRC & DPRC (Recurring Cost) upper ceiling limit upto Rs. 10 Lakh per annum		
1	SPRC Experts, Admin Staff, Peon other Exp for 4 unit	0.40
2	DPRC Staff & others Ex. Including TA/DA	2.50
	Total	**2.90**
5. Administrative and Technical Support Plan (Upper Ceilings Rs. 50,000 per block)		
1	Accountant cum Computer Operator, JE/TA/AE, Motivator for 300 Blocks for one year	18.00
	Total A&T	**18.00**
6. Panchayat Bhawan Support		
1	Construction of Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 20 lakh) for 1200 PBs.	240.00
2	Repair of Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 4 lakh) for 500 PBs.	20.00
3	Co-location of CSC (Common Service Centre) with Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 4 lakh) for 500 CSCs.	20.00
	Total PB & CSC	**280.00**
7. E-enablement of Panchayats		
7.1.	Computer and Accessories (Printer, Scanner and UPS) 4788 No @ Rs. 40000/-	19.152
7.2.	Support Group- District Level (Upper ceiling limit Rs. 35,000 per DPMU) ADPM (75)	3.150
	Total e. enablement	**22.302**
	Sub Total	**389.652**
8	SPMU-State Project Management Unit (Project Manager, State Consultants, Project Executives , Computer Operator, office helpers etc, TA&DA plus other expenses for 12 Months)	**19.480**
9	IEC- Visual Media, Audio, Social Media, Mela Campaign/ programmes/ function, Cultural events, Workshops, Others	**7.790**
	GRAND TOTAL	**416.92**

समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–4– वर्ष 2019–20 में बजट की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराया जाना।

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध कुल धनराशि रू. 129.53 करोड़ को व्यय किये जाने हेतु प्राथमिकता पर निम्नांकित गतिविधियाँ सम्पादित कर ली गयी है जो स्वीकृति गतिविधि व उपलब्ध धनराशि के अनुरूप है।
- यह भी अवगत कराना है कि निदेशक, पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित 'अनुश्रवण समिति' की दिनांक– 16 अक्तूबर,

1. समिति संज्ञानित हुई एवं समिति द्वारा अनुश्रवण समिति में लिए समस्त निर्णयों के अनुसार गतिविधियों के ससमय सम्पादन के निर्देश दिए गए।

2019 को आयोजित बैठक में अनुमोदनोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2019–20 की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है, जो समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत है–

S.	Summary of itemized major expenditure	Amount (In Cr)	क्रियान्वयन की स्थिति / धनराशि अवमुक्त
A	**Capacity Building & Training for GPDP**		
1	ERs Gram Panchayat (other than sarpanch/upa sarpanch) 02 ward members from each GP= 117616 Block level 2 days on GPDP@ Rs.800/-	14.47	प्रशिक्षण हेतु 25 डी0पी0आर0सी0 एवं 33 जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि प्रेषित।
2	1 day Refresher training of Gram Panchayat Sarpanch/ upa sarpanch on GPDP= 58703 at DPRC/DIRD/RIRD @ Rs.1100/-	6.46	प्रशिक्षण हेतु 25 डी0पी0आर0सी0 एवं 50 जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि प्रेषित।
3	2 days Block level functionaries /Block level BRPs of SRLM on GPDP at State level 821 No. @ Rs 1900/-	0.31	एस0आई0आर0डी0 को उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धनराशि प्रेषित।
4	2 days block level Training of PPT/WG/TF- Two SHG Head/members from each GP(WG)- 117616 No. @ Rs. 800/-	14.29	प्रशिक्षण हेतु 25 डी0पी0आर0सी0 एवं 32 जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि प्रेषित।
5	5 days State level Training of SRG members on Participatory Rural Appraisal(PRA)- 300 No. @ Rs. 1900/-	0.285	एस0आई0आर0डी0 को उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धनराशि प्रेषित।
6	3 days State level Training with Model Panchayats Gram Pradhans for development of model panchayat- 150 No. @ Rs. 1900/-	0.0855	एस0आई0आर0डी0 को उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धनराशि प्रेषित।
7	3 Days District level Training of District Resource Group on Participatory Rural Appraisal (PRA)- 4105 No. @ Rs. 1100/-	0.485	प्रशिक्षण हेतु 07 डी0पी0आर0सी0 एवं 17 जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि प्रेषित।

2. डी.पी.आर.सी./जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा आर.आई.आर.डी./डी.आई.आर.डी. के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के ससमय पूर्ण किये जाने हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करते हुए शासन स्तर से जनपदों को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

B.	**Capacity Building & Training (other than GPDP)**		
8	3 Days State level Write shop with development partners for preparation of training module on OSR - 60 No. @ Rs. 1900/-	0.34	एस0आई0आर0डी0 को उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धनराशि प्रेषित।
9	3 days State level Training for preparation of training module on account management- 60 No. @ Rs. 1900/-	0.34	एस0आई0आर0डी0 को उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धनराशि प्रेषित।
10	2 days Block level Training of Pradhans on PRIASoft & PFMS Integration 58759 No. @ Rs. 800/-	9.40	पूर्व की भांति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नोडल संस्थाओं से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
C	**Other activities under Capacity Building & Training**		
11	Exposure visits outside State (Upto Rs.4000/per day/per participant) 05 visits @ 20 participants	0.034	जनपद–हरदोई तथा राजस्थान में पी0एल0सी0 प्रधानों एवं आदर्श ग्राम पंचायतों के कर्मियों की विजिट का आयोजन किया गया।
12	Development of Panchayat Learning	0.30	धनराशि 06 जनपदों की 01–01 पंचायत के खाते में सीधे हस्तान्तरित की गयी है।
D	**Institutional Structure SPRC & DPRC (Recurring Cost) upper ceiling limit upto Rs. 10 Lakh per annum**		
13	SPRC Experts, admin Staff, Peon other Exp for 4 unit	0.40	प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रिट एवं डी0पी0आर0सी0 अम्बेडकरनगर में फैकल्टी की तैनाती हेतु धनराशि सम्बन्धितों के अधिकारिक खातों में हस्तान्तरित की गयी। चयन अवशेष।
14	DPRC Staff & other Ex. Including TA/DA @ Rs. 10.00 Lakhs per DPRC	2.50	25 जनपदों में संचालित जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन (फैकल्टी, चपरासी एवं कार्यालय व्यय) हेतु धनराशि जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के खाते में हस्तान्तरित की गयी।
E	**Panchayat Bhawan Support**		

3. **इसके साथ ही समिति द्वारा जनपदों में डी.पी.आर.सी. /जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा आर.आई.आर.डी./डी.आई.आर.डी. द्वारा कार्यान्वित प्रशिक्षण गतिविधियों की मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के स्तर से अनुश्रवण करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए।**

4. **एक्सपोज़र विजिट के उपरान्त दल द्वारा विजिट रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाये तथा रिपोर्ट को जनपदों से साझा किये जाने के निर्देश दिये गये।**

15	Construction of Panchayat Bhawan for 112 PB. @ 17.46 lakh/PB	19.55	08 महत्वाकांक्षी जनपदों को एक समान 14 प्रति जनपद की दर से 112 पंचायत भवनों हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि अवमुक्त की गयी है।	
16	Repair of Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 4 lakh) for 500 PB.	20.00	शासन को प्रेषित लक्ष्य के अनुसार समस्त जनपदों को 500 पंचायत भवन की मरम्मत हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि अवमुक्त की गयी है।	
17	Co-location of CSC with Panchayat Bhawan (Upper ceiling Rs. 4 lakh) for 388 CSC	15.52	• 500 के सापेक्ष 388 चयनित ग्राम पंचायतों हेतु जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित। • धनराशि के उपयोग एवं ग्राम पंचायत के चिन्हांकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी। • सी0एस0सी0 एस0पी0वी0 द्वारा पंचायत भवन में सी0एस0सी0 खोले जाने पर धनराशि की मांग की जा रही है, जिसके दृष्टिगत निदेशालय द्वारा राज्य की सी0एस0सी0 को पंचायत भवन में लोकेट कराने हेतु कन्सेप्ट नोट पर चर्चा की गयी है एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। • सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग से सी.एस.सी. के संचालन हेतु वर्किंग/बिजनेस मॉडल सम्बंधी शर्तो का निर्धारण हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित। • शासन स्तर से ग्राम पंचायत चयन हेतु मार्गनिर्देश जारी किए जाने सम्बंधी प्रस्ताव प्रेषित। • रू0 4.00 लाख की लागत से निर्माण हेतु जिला पंचायत के सहयोग से तैयार डिजाइन स्टीमेट का	**5. समिति द्वारा पंचायत भवन में जन सुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) को–लोकेशन प्रकरण पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा तैयार की गई डिजाइन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए जनपदों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए।**

			अनुमोदन।
F	E-enablement of Panchayats		
18	Support Group- District Level (Upper ceiling limit Rs. 35,000 per DPMU) ADPM (75)	3.15	आउट सोर्सिंग संस्था श्रीटॉन के माध्यम से व्यय।
G	PMU		
19	Resources of SPMU & DPMU, Office Expenditure Etc.)	5.19	कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई में कार्यरत कर्मियों तथा अन्य ऑफिस गतिविधियों हेतु।
	Total	**112.50**	

उपरोक्तानुसार समिति से अवगतार्थ/अनुमोदनार्थ।

<u>आगामी कार्यबिन्दु/ एक्शन प्वांइट–</u> <u>क– मानव संसाधन भर्ती–</u> ग्राम पंचायतों के सहयोग हेतु 300 विकास खण्ड में 600 मानव संसाधन की भर्ती हेतु राज्य स्तर से खुली ई–निविदा के माध्यम से थर्ड पार्टी का चयन कर तैनाती किया जाना प्रस्तावित। **उक्त कार्य हेतु आर.एफ.पी. तैयार कर शासन को प्रेषित, स्वीकृति होते ही भर्ती प्रस्तावित।**	**समिति द्वारा विकास खण्ड स्तर पर मानव संसाधनों की नियुक्ति के लिए आर.एफ.पी. अनुमोदन की प्रकिया के स्थान पर "जेम पोर्टल" के माध्यम से नियमानुसार भर्ती के संबंध में निर्देश निदेशालय को भेजे जाने हेतु संयुक्त सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को निर्देश दिए गए।**
<u>ख– ई–ईनेबलमेंट गतिविधि– **Computer and Accessories (Printer, Scanner and UPS)**</u> 1. ग्राम पंचायतों के उपयोग हेतु लैपटाप के लिए डेस्कटॉप के स्थान पर लैपटाप के क्रय का निर्णय पंचायती राज मंत्रालय, सी.ई.सी. की दिनांक 27 नवम्बर, 2019 से स्वीकृत। 2. लैपटॉप तथ अन्य सहवर्ती उपकरण का क्रय रू0 40000/–प्रति इकाई की दर (मुख्य कार्ययोजना– 4788 एवं अनुपूरक में– 3000) 3. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2747/78–2–2017/25 आई0टी0/2001 दिनांक 05 अगस्त, 2017 के अनुसार लैपटॉप तथा सहवर्ती उपकरणों का **क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित।** 4. लैपटॉप तथा सहवर्ती उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में 02 समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित। **(क) प्रथम समिति – प्रमुख सचिव, पं.रा. की अध्यक्षता में**	**समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमति व्यक्त नहीं की गयी एवं एन.आई.सी. के प्रतिनिधि से विचार–विमर्श करते हुए लैपटाप, प्रिंटर कम स्कैनर का क्रय जेम पोर्टल से नियमानुसार किए जाने हेतु 'क्रय समिति' के निर्धारण सम्बंधी प्रस्ताव शासन को पुनः पृथक से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।**

<u>क्रय निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समिति</u> **1.** प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन– **अध्यक्ष** **2.** विशेष सचिव, पंचायतीराज, अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन– **सदस्य** **3.** निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 –**सदस्य** **4.** मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश– **सदस्य** **5.** एन.आई.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि– **सदस्य** **समिति के कार्य**– 1. क्रय समिति द्वारा वेन्डर चयन के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों का परीक्षण एवं अनुमोदन। 2. क्रय समिति को क्रय से सम्बंधी यथाआवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना। **(ख) द्वितीय समिति – अपर निदेशक (प्रशा0), पंचायतीराज की अध्यक्षता में 'क्रय समिति'** का गठन किया जाना प्रस्तावित। आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–08/78–आई0टी0–2 –2001 दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार विभागाध्यक्ष के स्तर पर क्रय किये जाने की दशा में **निम्नवत् कमेटी प्रस्तावित है।** **1.** अपर निदेशक(प्रशा0)– **अध्यक्ष** **2.** विभाग के कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ– **सदस्य** **3.** यूपी0 डेस्को अथवा यूपी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन के प्रतिनिधि– **सदस्य** **4.** एन.आई.सी. के प्रतिनिधि– **सदस्य** **समिति के कार्य**– **1.** लैपटॉप तथा सहवर्ती उपकरणों की विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया जाना। **2.** बिड सम्बंधी शर्तों का निर्धारण। **3.** बिड प्रक्रिया का आयोजन। **4.** प्राप्त तकीनीकी तथा वित्तीय बिड का परीक्षण। **5.** उच्च समिति को वेन्डर चयन की संस्तुति प्रस्तुत करना। **6.** प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य।	
<u>ग–वर्ष 2019–20 में पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत</u> का शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2020 से जारी। शासन से धनराशि निर्गत होते ही नए पंचायत भवन की धनराशि निर्गत की जाएगी एवं चयनित ग्राम पंचायतों की सूची 15 दिवस में जनपदों से प्राप्त किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	**समिति द्वारा शासनादेश के अनुरूप कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए।**
एजेण्डा बिन्दु–4– वर्ष 2019–20 की अनुपूरक योजना की गतिविधियों पर चर्चा एवं अनुमोदन।	

भारत सरकार द्वारा वांछित अनुपूरक योजना के क्रम में नवम्बर माह में प्रदेश से रू0 411.33 करोड़ की अनुपूरक योजना प्रेषित की गयी, जिसके सापेक्ष दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को आयोजित सी0ई0सी0 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि रू0 425.53 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की है। जिसका विवरण निम्नावत है–

S. No.	Component	Budget proposed (In Cr)
1.	Other activities under Capacity Building & Training (@ 5.00 Las for 2 PLC)	10.00
2.	Institutional Structure (Pending Liability for 7 DPRC@ Rs. 0.80 lacs)	5.60
3.	Panchayat Bhawan Support- PB Construction Rs 200.00 Cr for 1000 GPs	200.00
4.	CSC Co-location @ Rs. 4.00 lacs/ GP for 4500 CSC	180.00
4.	E-enablement of Panchayats (Upper ceiling limit 40,000 per Unit for 3000 GPs) Computer Desktop Availability	12.00
5.	IEC(2%)	7.90
6.	PMU(5%)	19.88
	Sub-Total	**425.53**

आगामी कार्यबिन्दु / एक्शन प्वांइट–

उक्त रूप से प्रस्तुत अनुपूरक कार्ययोजना के सापेक्ष **प्रथमतः बजट प्राविधान किया जाना आपेक्षित है। जिसके लिए शासन को पत्र प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।**

उपरोक्तानुसार अनुपूरक कार्ययोजना पर समिति से कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित।

1. समिति द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत धनराशि रू0 411.33 करोड़ की अनुपूरक कार्ययोजना पर कार्योत्तर समिति प्रदान की गई।

2. समिति द्वारा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 425.53 करोड़ के सापेक्ष शीघ्र बजट व्यवस्था कराए जाने तथा पंचायत भवन स्थल का निर्धारण धनराशि निर्गत करने से पूर्व ही किये जाने के निर्देश दिए गए।

एजेण्डा बिन्दु–5– कार्यक्रम प्रबन्ध इकाईयों में कार्यरत रिर्सोसेज की सेवा विस्तार 31 मार्च, 2021 तक किये जाने के सम्बन्ध में।

- राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई एवं जनपद का कार्यक्रम प्रबन्ध इकाईयों में स्वीकृत रिर्सोसेज के पदों की सेवाएं राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा फरवरी, 2019 में मार्च, 2020 तक विस्तारित की गई थी। वर्तमान में उक्त रिसोर्सेज की सं0 127 है।

- इसी प्रकार से मंडल स्तर पर मंडलीय परियोजना प्रबंधक की सेवाएं डा.राम.मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना से ली जा रही है।

1. समिति ने राज्य एवं जनपद कार्यक्रम प्रबन्ध इकाईयों में कार्यरत रिर्सोसेज की सेवाएं 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित किये जाने पर सहमति प्रदान की।

2. एस.पी.एम.यू., एवं जनपद में पी.एम.यू में कार्यरत रिर्सोसेज के मानदेय में वृद्वि के लिए कार्य प्रदर्शन के आधार पर मार्च, 2020 में पुनः विचार किए जाने का

- उक्त रिसोर्स की सेवाएं 31 मार्च, 2021 तक **विस्तारित** किये जाने हेतु समिति से अनुमोदन निवेदित है।

<u>उपरोक्तानुसार समिति से अनुमोदन निवेदित।</u>

निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–6– अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

क्र0	गतिविधि	एजेंसी
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन की बसों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार–प्रसार (03 माह हेतु)	यू.पी.एस.आर.सी.टी.सी. द्वारा एम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से
2.	एल.ई.डी. वैन 01 फरवरी–10 मार्च, 2020 के मध्य। **विषय**– जी.पी.डी.पी., मॉडल पंचायत, बाल मैत्री पंचायत, स्वच्छ ग्राम आदि।	सूचना विभाग में एम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से
3.	होर्डिंग– मण्डल, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर	सूचना विभाग में एम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से
4.	मॉडल पंचायतों एवं विभागीय उपलब्धियों पर फिल्म/डॉक्यूमेंट्री/ जिंगल का निर्माण एवं प्रधानों को वर्ष में दो बार योजनाओं की जानकारी हेतु एस.एम.एस.	सूचना विभाग में एम्पैनल्ड एजेंसी के माध्यम से
5.	ग्राम पंचायत विकास योजना पर तैयार फ्लिप बुक का मुद्रण	पंचायत उद्योग के माध्यम से

उपरोक्तानुसार समिति से अनुमोदन निवेदित।

1. **समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष किसी एजेंसी विशेष पर कोई अनुमोदन नही प्रदान किया गया।**
2. **आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए प्रस्तुत विभागीय गतिविधियों में से यू.पी.एस.आर.टी.सी. की बसों पर प्रचार–प्रसार पर सहमति नहीं दी गयी एवं मुख्यतः निम्न गतिविधियों पर सहमति प्रदान की गईः–**
   - **सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन।**
   - **पम्फलेट एवं ब्रोशर का वितरण।**
   - **ग्रामीण बस स्टैड, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पम्प, जिला एवं खण्ड कार्यालय, डी.पी.आर.सी, जिला अस्पताल आदि में होर्डिंग की स्थापना।**
   - **विशेष प्रायोजनों/अभियान/पखवाडा पर एलईडी वैन का संचालन आदि।**
3. **पी.एल.सी./मॉडल पंचायतों की अधिकतम 05 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर फिल्म का प्रदर्शन गॉवों के सिनेमा हॉल में कराये जाने के निर्देश दिये गये।**
4. **इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विकास योजना पर तैयार फ्लिप बुक का मुद्रण, मॉडल पंचायतों एवं विभागीय उपलब्धियों पर**

	फिल्म/डॉक्यूमेंट्री/ जिंगल का निर्माण एवं प्रधानों को वर्ष में दो बार योजनाओं की जानकारी हेतु एस.एम.एस. आदि किया जाना प्रस्तावित है। उक्त समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाये।

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 शासन/
अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति, आर.जी.एस.ए.।

संख्या–शा0|18 /2020–RGSA/14/2018 दिनांक 12 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, प्रिट, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
13. अपर/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
14. मुख्य वित एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

(किंजल सिंह)
निदेशक, पंचायती राज विभाग/
उपाध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति, आर.जी.एस.ए.।